न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2711–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–08–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा अरनियाकलां तहसील कालापीपल जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 141/बी–121/2011–12

1. देवकरण पिता रामलाल
2. प्रेमसिंह पिता रामलाल
3. राकेश कुमार पिता कन्हैयालाल
4. अखिलेश पिता कन्हैयालाल
5. संतोष कुमार पिता प्रेमसिंह
6. रमेश कुमार पिता प्रेमसिंह
   समस्त निवासी ग्राम अरनियाकलां तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. दिनेश कुमार पिता मनोहरलला
2. मनोहरलाल पिता रामलाल
   दोनों निवासी ग्राम अरनियाकलां तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार टप्पा अरनियाकलां तहसील कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक दिनेश कुमार पिता मनोहरलाल द्वारा एक आवेदन नायब तहसीलदार को इस बावत प्रस्तुत किया कि उसकी जमीन पर आवेदकगण ने मुरम डालकर रास्ते को यथास्थति में नहीं रखते हुये फेरबदल कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं जिसे हटवाया जाये। नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण को सूचना पत्र जारी करने एवं पटवारी से रिपोर्ट मांगी। नायब तहसीलदार ने दिनांक 20–8–2014 के द्वारा आवेदकगण के द्वारा अनावेदक की भूमि से मुरम नहीं हटाने एवं वरिष्ठ व्यवहार न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करने के कारण आवेदकगण पर धारा 132 के तहत 5000/– शास्ति आरोपित की तथा धारा 134 के तहत 500 का बंधपत्र निष्पादन हेतु आदेश दिये। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध ही यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि भूमि सर्वे कमांक 2903/3, 2903/4, 2913, 2930, 2932 आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा भूमि के अलावा अन्य भूमि में कृषि कार्य करने के लिए मवेशी, बैलगाडी, हर वखर आदि ले जाने के मार्ग आबादी अरनियाकलां से ग्राम अलिशरिया से जाने वाले मार्ग से आवेदकगण की भूमि पर पहुंचते हैं। उक्त रास्ते का उपयोग आवेदगण पैत्रिक समय से करते चले आ रहे हैं। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण कमांक 1 व 2 के भाई कन्हैयालाल पिता रामलाल प्रकरण में अनावेदक कमांक 3 के रूप में पक्षकार थे तथा प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए उनका स्वर्गवास दिनांक 17–3–2013 को हो गया था, ऐसी स्थिति में उनका नाम कर किये बिना प्रकरण में मृतक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी क्योंकि मृतक के विरूद्ध पारित आदेश पूर्णतः शून्य है। तर्क में यह भी कहा कि रास्ते के प्रकरण में स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक है किन्तु इस

प्रकरण में स्थल निरीक्षण किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो नितान्त अवैध एवं अनुचित है। यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण कमांक 4/अ–13/1987–88 देवकरण आदि बनाम खुमानसिंह आदि में दिनांक 7–11–1994 को आदेश पारित कर आवेदकगण का रास्ता खोला गया था। उक्त आदेश अंतिम होकर अनावेदकगण पर बंधनकारी है क्योंकि उक्त आदेश को उनके द्वारा कही चुनौती नहीं दी गइ है ऐसी स्थिति में अनावेदकण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) के अनुसार वर्जित है। इस तथ्य पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक दिनेश कुमार ने तहसील न्यायालय के आदेश से आवेदकगण देवकरण आदि को कृषि कार्य हेतु मात्र दो बैल एवं एक केड़ बछडा को मुंह पर मुस्का बांधकर के जाने तथा लाने हेतु राता दिया गया था। इस रास्ते पर आवेदक देवकरण आदि ने न्यायालय की अनुमति के बिना रास्ते पर मुरम, बोल्डकर, पत्थर डालकर रास्ते को यथास्थिति में नहीं रखते हुये फेरबदल कर भूमि पर कब्जा कर लिया। नायब तहसीलदार ने आवेदकगण द्वारा डाली गई मुरम को दो दिवस में हटा लेने तथा खेत को पूर्वानुसार में लाने के आदेश दिनांक 11–9–13, को दिये थे। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदगण देवकरण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 7–5–14 द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात तथा अपर आयुक्त के न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश न होने से तहसील न्यायालय के पूर्व आदेश के कम में अग्रिम

प्रारंभ की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त को प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 2–3–2015 द्वारा निरस्त हुई तथा उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7–4–15 द्वारा निरस्त की गई। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय ने आदेश दिनांक 31–7–14 में तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11–9–13 को उचित माना है। व्यवहार न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के कम में तहसील न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। तर्क में यह भी कहा कि आदेश दिनांक 20–8–14 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई दूसरी ओर से तहसील न्यायालय आदेश दिनांक 11–9–13 के विरूद्ध पृथक से अपील/निगरानी प्रस्तुत की जाती रही है जो इस न्यायालय से अंतिम हो गया है। इस प्रकार एक ही वाद विषय के संबंध में अंतिम निराकरण हो चुका है तथा उक्त आदेशों के परिपालन में तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रचलन योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में आवेदकगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध किये जाने के कारण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक 11–9–2013 को सर्वे कमांक 2906 में डाली गई सम्पूर्ण मुरम, पत्थर को दो दिवस में हटाने तथा खेत को पूर्वानुसार लाने के आदेश दिये थे। आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 01/अपील/2013–14 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 7–5–14 के द्वारा निरस्त की गई तथा तहसील न्यायालय

का आदेश यथावत रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात तथा अपर आयुक्त के न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश न होने से तहसील न्यायालय के पूर्व आदेश के कम में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 439/अपील/2013–14 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 2–3–15 के द्वारा निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 757–दो/15 प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 7–4–15 द्वारा खारिज की गई।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–8–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर